डेरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड।

संवर्गवार अनुरोध के आधार पर प्राप्त अनुरोध–पत्रों का संक्षिप्त विवरण वर्ष–2024–25

सहायक निदेशक समूह–''ख''

क्र0 सं0	नाम कार्मिक	पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थल	प्राप्त अनुरोध पत्र का संक्षिप्त विवरण
01	02	03	04	05
01.	श्री बृजेश सिंह	सहायक निदेशक	हरिद्वार	अधोहस्ताक्षरी 58 वर्ष का स्थानान्तरण अधिनियम के अन्तर्गत एक वरिष्ठ कार्मिक है साथ–साथ दुर्गम/अतिदुर्गम की सेवायें सेवा अभिलेखों के अनुसार पूर्ण है।
02.	श्री अनुराग मिश्र	सहायक निदेशक	बागेश्वर	वयोवृद्ध एवं गंभीर रूप से बीमार माता–पिता के इलाज एवं सेवा हेतु, पुत्री के शिक्षा–दीक्षा के लिए, पत्नी के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण निजी व्यय पर जनपद देहरादून, हरिद्वार ऊधमसिंह नगर व नैनीताल में स्थानान्तरण किये जाने का अनुरोध किया गया है।

वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक समूह–''ग''

क्र0 सं0	नाम कार्मिक	पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थल	प्राप्त अनुरोध पत्र का संक्षिप्त विवरण
01	02	03	04	05
01.	श्री दशरथ सिंह राणा	वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक	ऊधमसिंह नगर	प्रार्थी 16 वर्ष की सेवा दुर्गम क्षेत्र में पूर्ण कर चुका है तथा प्रार्थी की आयु दिनांक 31.05.2024 को 56 वर्ष की हो जाने से वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा–03(ज) के अनुसार वरिष्ठ कार्मिक की श्रेणी में आ रहा है। साथ ही, स्लिप डिस्क (L-4 L-5) से पीड़ित होने के कारण उठने–बैठने तथा चलने–फिरने में अत्यधिक परेशानी होती है। पत्नी मधुमेह, गठिया एवं थायराइड से पीड़ित है। जिस कारण प्रार्थी स्थानान्तरण नहीं चाहता है।

दुग्ध निरीक्षक समूह–''ग''

क्र0 सं0	नाम कार्मिक	पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थल	प्राप्त अनुरोध पत्र का संक्षिप्त विवरण
01	02	03	04	05
01.	श्री हरी सिंह	दुग्ध निरीक्षक	उत्तरकाशी	प्रार्थी का उत्तरकाशी में विभागीय कार्यो के सम्पादन के दौरान दिनांक 29.04.2018 को दुर्घटना हुई थी जिसमें प्रार्थी को गम्भीर चोट के साथ–साथ बायें पैर का घुटना टूट गया था जिसे सी0एम0आई0 देहरादून में ऑपरेशन द्वारा पुनः घुटने का जोड़ बनाते हुए लिनामेंट डाला गया था। वर्तमान में घुटने का लिनामेंट सही से कार्य नहीं कर रहा है, जिससे पर्वतीय क्षेत्र में चढ़ने एवं उतरने में घुटने में असहनीय दर्द होता है। ऑर्थो चिकित्सक द्वारा घुटने पर बैल्ट लगाकर चलने तथा चढ़ाई एवं उतराई से बचने की सलाह दी गई है। सहायक निदेशक कार्यालय, ऊधमसिंह नगर, नैनीताल, हरिद्वार एवं देहरादून में स्थानान्तरण किये जाने का अनुरोध किया गया।
02.	श्री ओंकार नाथ	दुग्ध निरीक्षक	उत्तरकाशी	प्रार्थी को हृदय घात पड़ने के कारण 03 स्टेन्ट दिनांक 12.06.2022 एवं दिनांक 16.06.2022 को श्री महन्त इंद्रेश हॉस्पिटल देहरादून में उपचार के समय पड़ चुके हैं, जिससे प्रार्थी वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा–17(ख) की श्रेणी (एक) के अन्तर्गत अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र है। प्रार्थी की पत्नी का माह जनवरी, 2020 में आकस्मिक निधन हो चुका है, जिससे प्रार्थी वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा–17(ख) की श्रेणी (पांच) के अन्तर्गत अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र है। स्वास्थ्य सम्बन्धित विषम परिस्थितियों को देखते हुए स्थानान्तरण सहायक निदेशक कार्यालय, हरिद्वार, देहरादून में करने का अनुरोध किया गया।
03.	श्री जगत सिंह बिष्ट	दुग्ध निरीक्षक	अल्मोड़ा	प्रार्थी का हाल में Scrotum/Testicles का ऑपरेशन हुआ है, जिसकी जांच हेतु सप्ताह में या 15 दिनों में हल्द्वानी जाना पड़ता है एवं मेरे बच्चे की शिक्षा जनपद अल्मोड़ा में चल रही है। वर्तमान समय में मेरा बच्चा हाईस्कूल में CBSE बोर्ड में अध्ययनरत है, जिसके बोर्ड के फार्म भरे जा चुके है। मेरी माँ की देख–रेख की सम्पूर्ण जिम्मेदारी मुझ पर ही है, जिनका स्वास्थ्य आये दिन खराब रहता है, जो हल्द्वानी में रहती है। उक्त परिस्थितिवश स्थानान्तरण न किये जाने का अनुरोध किया गया।
04.	डॉ0 ए0एल0श्रीवास्ताव	दुग्ध निरीक्षक	नैनीताल	प्रार्थी 31 मई, 2024 को 56 वर्ष 02 माह 26 दिन की आयु पूर्ण हो गयी है। वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा–17(ख) 05 अन्तर्गत वरिष्ठ कार्मिक के साथ उत्तराखण्ड शासन से मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन उत्तराखण्ड राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक कल्याणार्थ एसोशिएन का दिनांक 16.02.2023 से निर्वाचित प्रान्तीय महामंत्री/महासचिव है। के

				क्रम में उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 की धारा 17(2–घ) में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि पद धारित करने की तिथि से पद पर बने रहने की अवधि में स्थानान्तरण नहीं किये जाने का प्राविधान है। उपरोक्त के दृष्टिगत् रखते हुए स्थानान्तरण नहीं किये जाने का अनुरोध किया गया है।
05.	श्री संतोष कुमार सिंह	दुग्ध निरीक्षक	हरिद्वार	प्रार्थी उत्तराखण्ड सरकार से मान्यता प्राप्त संगठन उत्तराखण्ड राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक कल्याणार्थ एसोशिएसन के द्विवार्षिक अधिवेशन फरवरी, 2023 मे विधिवत निर्वाचित जिला अध्यक्ष है। उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 की धारा 17(2–घ) के द्वारा संगठन पदाधरित करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि में स्थानान्तरण नही किये जाने का प्राविधान है। उपरोक्त के दृष्टिगत् रखते हुए स्थानान्तरण सूची से पृथक करने का अनुरोध किया गया है।
06.	श्री सहदेव सिंह पुण्डीर	दुग्ध निरीक्षक	हरिद्वार	प्रार्थी शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संगठन उत्तराखण्ड राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक कल्याणार्थ एसोसिएसन के द्विवार्षिक अधिवेशन फरवरी, 2023 में विधिवत निर्वाचित प्रान्तीय अध्यक्ष है। साथ ही, उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 की धारा 17(2–घ) के द्वारा संगठन पदाधरित करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि में स्थानान्तरण नही किये जाने का प्राविधान है। प्रार्थी की पत्नी डॉ0सरस्वती पुण्डीर शिक्षा विभाग में उत्तराखण्ड शिक्षा विभाग उत्तराखण्ड में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान रूड़की हरिद्वार में नियुक्त है। कपल पोस्टिंग के आधार पर जनपद हरिद्वार में तैनाती रहने हेतु अनुरोध किया गया है।

राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक समूह–''ग''

क्र0 सं0	नाम कार्मिक	पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थल	प्राप्त अनुरोध पत्र का संक्षिप्त विवरण
01	02	03	04	05
01.	श्री गणेश चन्द्र आर्या	राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक	अल्मोड़ा	प्रार्थी को जनपद अल्मोड़ा में वर्तमान तक 06 वर्ष पूर्ण हो गये है। अनुरोध के आधार पर सुगम जनपद से दुर्गम जनपद पिथौरागढ़ हेतु अनुरोध करता हूँ क्योंकि मेरे बच्चे जनपद पिथौरागढ़ में ही रहते है। मेरे पत्नी के भाई न होने के कारण मेरी सासू माँ की देख–रेख मेरे परिवार को ही करनी पड़ती है। जिनकी वर्तमान में 70 वर्ष की उम्र है व मेरे बच्चों की शिक्षा भी पिथौरागढ़ से ही चल रही है। परिवारिक परिस्थतियों को देखते हुए स्थानान्तरण जनपद पिथौरागढ़ में निजी व्यय पर करने का अनुरोध किया गया है।
02.	श्री कुलदीप कुमार	राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक	पौड़ी	प्रार्थी का 04 वर्ष का बच्चा किडनी की बिमारी से ग्रस्त है एवं वृद्ध माता–पिता भी गंभीर बीमार है। जो हरिद्वार (रूड़की) में निवासरत है। प्रार्थी का स्थानान्तरण हरिद्वार में करने की कृपा करें। साथ ही, श्री सुशील कुमार, राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक, हरिद्वार (सुगम) पात्रता सूची में है, जो अपना स्थानान्तरण जनपद पौड़ी में कराना चाहते है। हम दोनों आपस में पारस्परिक स्थानान्तरण के लिए सहमत है। पारस्परिक स्थानान्तरण का अनुरोध किया गया।
03.	श्री सुशील कुमार	राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक	हरिद्वार	प्रार्थी के पिता ह्रदय रोग से पीड़ित है प्रार्थी ही उनका एकमात्र सहारा है उनका ईलाज रूड़की से कराया जा रहा है जिन्हें डॉक्टर द्वारा आराम की सलाह दी गई है, जिनकी देखभाल मेरे द्वारा की जा रही है, इसलिए प्रार्थी जनपद हरिद्वार से स्थानान्तरण नहीं चाहता है। परन्तु यदि स्थानान्तरण रोकना सम्भव न हो तो प्रार्थी का स्थानान्तरण जनपद पौड़ी में कार्यरत श्री कुलदीप कुमार राजकीय दुग्ध पर्यवेक्ष पौड़ी जो हरिद्वार में स्थानान्तरण चाहते है, उनके साथ मेरा पारस्परिक स्थानान्तरण करते हुए मेरा स्थानान्तरण जनपद पौड़ी में किये जाने की कृपा करें।
04.	सुश्री मीनाक्षी नेगी	राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक	पौड़ी	प्रार्थिनी के वृद्ध पिता का वर्ष 2022 से ह्रदय से संबंधित उपचार चल रहा है, जिनकी देख–देख अति आवश्यक है, प्रार्थिनी वर्ष 2013 से दुर्गम क्षेत्र रूद्रप्रयाग में अपनी सेवायें दे रही है। दुर्गम से दुर्गम क्षेत्र पौड़ी से स्थानान्तरण नहीं चाहती है।
05.	श्री श्रृंगुनाथ	राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक	चम्पावत	प्रार्थी जनपद चम्पावत में जुलाई, 2019 से कार्यरत हूँ। दिसम्बर, 2023 से ह्रदय रोग से पीड़ित है। दिसम्बर, 2023 में हार्ट ब्लाकेज होने के कारण हार्ट का ऑपरेशन हुआ है। हार्ट में 02 स्टंट डाले गये है। चिकित्सकों द्वारा पहाड़ पर चढ़ाई नहीं चलने का परामर्श दिया गया है। पर्वतीय जनपद में चढ़ाई तथा विषम भौगोलिक परिस्थिति होने के कारण स्वास्थ्यगत कारणों से कार्य करने में परेशानी हो रही है। मेरे हार्ट का ऑपरेशन श्री राममूर्ति मेडिकल इंस्टीटयूट बरेली में हुआ है। मुझे स्वास्थ्य परीक्षण हेतु प्रतिमाह बरेली जाना पड़ता है। स्थानान्तरण जनपद ऊधमसिंह नगर में करने का अनुरोध किया गया है।

06.	श्री प्रेम सिंह	राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक	ऊधमसिंह नगर	प्रार्थी एक पैर में पोलियो से ग्रसित विकलांग/दिव्यांग कर्मचारी हूँ। मेरी विकलांगता 40 प्रतिशत है। मुझे पर्वतीय क्षेत्र में चलने–फिरने में परेशानी होती है। वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के अर्न्तगत प्रार्थी को धारा–7(घ) के उपखण्ड (तीन) के अनुसार धारा–3 के अधीन स्थानान्तरण प्रक्रिया से मुक्त रखने हेतु आपसे अनुरोध करना है कि मेरी विषम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मुझे स्थानान्तरण प्रक्रिया से मुक्त रखने का अनुरोध किया गया है।
07.	श्री नवीन चन्द्र	राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक	ऊधमसिंह नगर	प्रार्थी का वर्ष 2015 में रोड एक्सीडेंट में सर पर चोट लगने के कारण प्रार्थी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। प्रार्थी के स्वास्थ्य को देखते हुए प्रार्थी का स्थानानतरण न किया जाय।
08.	श्री जितेन्द्र कुमार	राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक	चमोली (सम्बद्ध ऊधमसिंह नगर)	प्रार्थी की माता जी को शुगर बी0पी0 और हार्ट में ब्लाकेज है, मुझे माता जी का ईलाज कराने हेतु दिल्ली, देहरादून जाना होता है। पिता जी वृद्ध है एवं उनका भी ईलाज चल रहा है अपने माता–पिता जी की देखभाल करने हेतु मैं एकमात्र पुत्र हूँ। विषम परिस्थितियों को ध्यान में रखते निजी व्यय पर ऊधमसिंह नगर जनपद में करने का अनुरोध किया गया है।
09.	श्री नीरज कुमार	राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक	बागेश्वर	प्रार्थी के वृद्ध माता–पिता है, जो कि जनपद हरिद्वार में रहते है, प्रार्थी की पत्नी शारीरिक रूप से दिव्यांग है और बड़ा बेटा 13 वर्ष का है, जो कि न तो चल पाता है और न ही बोल पाता है, जिसके इलाज के लिए हर सप्ताह दिल्ली जाना होता है। पत्नी दिव्यांग होने के कारण बच्चे के इलाज होने में बहुत कठिनाई हो रही है। स्थानान्तरण जनपद हरिद्वार में करने का अनुरोध किया गया है।
10.	श्री उमेश चन्द्र	राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक	बागेश्वर	प्रार्थी के परिवार में वृद्ध माता, जिनकी उम्र 82 वर्ष है। प्रार्थी की 03 बेटियां, पत्नी हल्द्वानी में ही रहते है। वर्तमान में स्कूटी से एक्सीडेंट होने के कारण प्रार्थी अस्पताल में एडमिट है 2–3 सप्ताह एडमिट रहना पड़ेगा एवं दो महिने घर पर बैड रेस्ट बताया गया है। हल्द्वानी में चिकित्सा के दृष्टिगत् जनपद नैनीताल में स्थानान्तरण करने का अनुरोध किया गया है।

लेखा संवर्ग समूह–''ग''

क0 सं0	नाम कार्मिक	पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थल	प्राप्त अनुरोध पत्र का संक्षिप्त विवरण
01	02	03	04	05
01.	श्री विजय सुन्दरियाल	सहायक लेखाकार	पौड़ी	प्रार्थी का पिछले साल गॉलब्लैडर का ऑपरेशन हुआ है और प्रार्थी हृदय रोग एव निम्न रक्तचाप की बीमारी से ग्रस्त होने तथा पौड़ी में उचित ईलाज न हो पाने के कारण मेरा ईलाज देहरादून से चल रहा है, जिसके लिए प्रार्थी को पौड़ी से देहरादून उपचार के लिए बार–बार जाना पड़ता है। प्रार्थी के माता–पिता जिनकी उम्र 76 एवं 84 वर्ष के लगभग है पृथक निवास (पौड़ी) में होने के कारण उनका भरण–पोषण एवं देखभाल भी सही से नहीं हो पा रही है। प्रार्थी की दुर्गम क्षेत्र की सेवा 04 वर्ष से अधिक हो चुकी है। साथ ही जनपद देहरादून व हरिद्वार में स्थानान्तरण किये जाने का अनुरोध किया गया है।
02.	श्री गौरव कुमार सक्सेना	सहायक लेखाकार	अल्मोड़ा	मेरी 10 वर्षीय पुत्री जो कि अस्थमा जैसी सांस संबंधी बीमारी से ग्रसित है तथा मेरी धर्मपत्नी जिन्हें 2013 मे तपेदिक (टी0बी0) रोग हो चुका है, जिसकी वजह से उक्त दोनों का पर्वतीय क्षेत्र में रहना स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है तथा मेरी माता जी जिनकी आयु 70 वर्ष है उनकी देखभाल करने की जिम्मेदारी है। उक्त परिवारिक समस्याओं को दृष्टिगत् रखते हुए जनपद नैनीताल व ऊधमसिंह नगर में स्थानान्तरण किये जाने का अनुरोध किया गया है।
03.	श्री अशोक बिष्ट	सहायक लेखाकार	बागेश्वर	प्रार्थी की माता जी विगत 12 वर्षो से लकवाग्रस्त हैं तथा विगत माह दिसम्बर, 2023 में बाथरूम में गिरने से उनका कुल्हा भी फ्रैक्चर हो गया है। प्रार्थी की माता जी विगत दिसम्बर माह से बिस्तर पर ही है। जिनकी देखरेख पिता जी द्वारा ही की जाती है। परन्तु प्रार्थी के पिता जी की उम्र भी काफी होने के कारण प्रार्थी के पिता जी भी आयु जन्य बिमारियों से ग्रसित हो गए है। चूँकि प्रार्थी के माता–पिता की चिकित्सा हेतु अक्सर हल्द्वानी आना–जाना पड़ता है। प्रार्थी का स्थानान्तरण निदेशालय, हल्द्वानी में होने से प्रार्थी अपने माता–पिता की देखभाल एवं उचित ईलाज करवाने के साथ ही वृद्ध माता–पिता को उनके कठिन समय में सहारा देने के लिए साथ रह सकता है। प्रार्थी का स्थानान्तरण जनपद बागेश्वर से निदेशालय, हल्द्वानी में करने का अनुरोध किया गया है।
04.	श्री अरूण कुमार	सहायक लेखाकार	ऊधमसिंह नगर	प्रार्थी की पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं है, प्रार्थी की 09 माह की छोटी बच्ची है, जिसकी देखभाल प्रार्थी के द्वारा की जाती है, स्थानान्तरण प्रक्रिया से मुक्त रखने का अनुरोध किया गया है।

लिपिक संवर्ग समूह–''ग''

क्र0 सं0	नाम कार्मिक	पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थल	प्राप्त अनुरोध पत्र का संक्षिप्त विवरण
01	02	03	04	05
01.	श्री अभिषेक कुमार	कनिष्ठ सहायक	पिथौरागढ़	वर्ष 2021 में पिता जी की मृत्यु के पश्चात् एकमात्र पुत्र होने से घर की सारी जिम्मेदारियाँ प्रार्थी पर है, प्रार्थी के घर पर माता जी व दो बहने हैं तथा माता जी के खराब स्वास्थ्य के चलते डॉक्टर की सलाह पर उन्हें समय–समय पर उपचार हेतु देहरादून चिकित्सालय ले जाना होता है साथ ही, वर्तमान में प्रार्थी के बहन का भी स्वास्थ्य काफी खराब है, जिसका उपचार श्रीनगर गढ़वाल चिकित्सालय से चल रहा है। प्रार्थी का घर जनपद पिथौरागढ़ से काफी दूर होने के कारण प्रार्थी घर नहीं जा पाता है। प्रार्थी का स्थानान्तरण जनपद पिथौरागढ़ से जनपद टिहरी/देहरादून या हल्द्वानी में करने का अनुरोध किया गया है।
02.				